बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 173236 पटना, दिनांक 03/01/14

ग्रा.वि.-7 (सा.वा.)-25/13

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- **मनरेगा के अंतर्गत राजकीय वृक्ष 'पीपल' को बढ़ावा देने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के पत्रांक 593 (ई.) दिनांक 18.11.2013 की प्रति संलग्न कर भेजे जा रहे हैं ।

2. अनुरोध है कि इस आलोक में अग्रेत्तर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

<u>अनुलग्नक :- यथोक्त</u> ।

2.1.14

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

पत्रांक–वन्य प्राणी 02/2004 प0व0

बिहार सरकार,

पर्यावरण एवं वन विभाग।

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 18 नवम्बर, 2013

विषयः प्रत्येक टोले में राजकीय वृक्ष लगाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा पीपल को राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना की प्रति संलग्न है। इसलिए सभी विभागों का यह दायित्व है कि इस वृक्ष के प्रचार–प्रसार किया जाय। उल्लेखनीय है कि पीपल का वृक्ष न केवल जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है तथा औषधीय पौधों के रूप में इसका उपयोग होता है। सामान्य तौर पर पंचायतों के द्वारा टोले में सामुदायिक उपयोग के लिए सामुदायिक चबुतरा की योजना ली जाती है। अगर इस योजना के साथ पीपल के वृक्ष को भी जोड़ दिया जाय तो सामुदायिक चबुतरे के साथ–साथ पीपल के वृक्ष भी हर टोले में उपलब्ध हो जायेगा। इसके लिए कम–से–कम 20 फीट व्यास का गोलाकार चबुतरा या 20 X 20 फीट गोलाकार चबुतरा बनाया जा सकता है एवं जिसके बीच में लगभग 5 फीट व्यास के गोलाकार स्थान के बीच में पीपल का वृक्ष लगाया जा सकता है। इस वृक्ष के बड़े हो जाने पर यह चबुतरे के लिए छाया के रूप में भी काम करेगा।

अनुरोध है कि इसके लिए एक मॉडल प्राक्कलन बनाते हुए इसे सभी पंचायत स्तर तक भेजवाने की कृपा करेंगे तथा सभी पंचायतों को यह निदेशित करने की कृपा करें कि मनरेगा योजना के अंतर्गत इसे प्राथमिकता के आधार पर लें।

अनु॰ यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

संख्या वन्यप्राणी 02/04 /प0व0, पटना-15, दिनांक

विषय:- बिहार राज्य के लिए राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष तथा पुष्प की घोषणा।

राज्य सरकार, संरक्षण के उद्देश्य से इस राज्य के भौगोलिक परिवेश से जुड़े वनस्पति प्रजातियों एवं वन्यप्राणी में से निम्नांकित पशु, पक्षी, वृक्ष एवं पुष्प को राजकीय प्रतीक के रूप में चयनित करते हुए राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष एवं पुष्प घोषित करती है:-

1.	राजकीय पशु	बैल (Bos Taurus)
2.	राजकीय पक्षी	गोरैया (Passer Domesticus)
3.	राजकीय वृक्ष	पीपल (Ficus Religiosa)
4.	राजकीय पुष्प	गेंदा (Tagetes Sps)

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(गिरीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक--वन्यप्राणी--02/04 **/प0व0, पटना--15, दिनांक--**

प्रतिलिपिः--ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग को साफ्ट एवं हार्ड कॉपी (दो प्रतियों) के साथ राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि मुद्रित प्रति की 100 प्रतियाँ विभाग को भी भेंजी जाए।

ह0/-
(गिरीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक--वन्यप्राणी--02/04 **/प0व0, पटना--15, दिनांक--**

प्रतिलिपिः--सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(गिरीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक--वन्यप्राणी--02/04 231(ई) **/प0व0, पटना--15, दिनांक--** 29/4/2013

प्रतिलिपिः--प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक एवं सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.4.13
(गिरीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।